बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 100/3ITC /
सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 18/2018

पटना, दिनांक 21.1.19

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103– हथकरघा उद्योग, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0103–हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड 23-2851001030103 के अंतर्गत विषय शीर्ष 0103.33.01–सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में ''खादी वस्त्रों की भाँति हस्तकरघा वस्त्रों की बिक्री पर 10% (दस प्रतिशत) छूट देने की योजना'' हेतु स्वीकृत राशि रू0 5,00,000/– (पाँच लाख) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल राशि **रू0 5,00,000/– (पाँच लाख)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0103–हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड 23-2851001030103 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0103.33.01–सब्सिडी मद से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–303 दिनांक 15.01.19 (विभागीय शुद्धि–पत्र ज्ञापांक 360, दिनांक 17.01.19 द्वारा अल्पसंशोधित) के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी विभिन्न संबंधित जिला कोषागारों से की जाएगी।

6 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

21/1/19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक 100/3110/
प्रतिलिपि :– पटना, दिनांक 21.1.19

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/19

ह० उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 100/3110/
प्रतिलिपि :– पटना, दिनांक 21.1.19

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/मधुबनी/सीवान/बांका/रोहतास/कैमूर/नालन्दा/नवादा/औरंगाबाद/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर/गया/प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना/अध्यक्ष, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर संघ लि0, भागलपुर/सीवान/मधुबनी/नालन्दा/प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

18/1/19

ह० उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।